The outlay against Uttar Pradesh, has inadvertently been shown to be Rs. 113.20 lakhs. The correct outlay for this State may be read as Rs. 25.00 lakhs.

12.00 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DEPRESSION IN THE RICE MARKET IN PUNJAB DUE TO NON-AVAILABILITY OF RAILWAY WAGONS.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : श्रीमन, मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"रेल के मालडिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण पंजाब में मंडियों में चावल के व्यापार में मंदी आ जाने के समाचार।"

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : Rice from the Punjab moves on Food Corporation of India's account. For this purpose, the Food Corporation of India furnish to the Northern Railway periodical programmes, indicating their requirements of wagons for movement of rice both in specials and piecemeal. Wagons for movement of rice on Food Corporation of India account are supplied under a very high priority, namely item 'B', of the preferential Traffic Schedule.

SHRI RANGA (Srikakulam) : why not item " A " ?

SHRI NANDA : The Railways have been trying their best to lift as much rice as possible from the Punjab. During the period 1st October to 7th December 1970, 6204 broad gauge wagons have been loaded with rice from the Punjab on Food Corporation of India's account against 5856 broad gauge wagons during the corresponding period of the last year. The loading has been further stepped up during the period 8th to 15th instant, 135 broad gauge wagons per day were loaded with rice from the Punjab as against 91 wagons loaded daily during the period 1st October to 7th December 1970.

The Food Corporation of India have been programming a larger proporation of the movement of rice from the Punjab to destinations in West Bengal. For instance, during the first 10 days of the current month, 481 wagons out of 1291 loaded with rice from the Punjab were for destinations in West Bengal. Further, out of 1089 demands of rice pending in Punjab as on 15.12.1970, 412 wagons were for destinations in west Bengal.

The heavy and concentrated movement of rice from the punjab to destinations in West Bengal and the poor release of loaded wagons at terminals in Calcutta area, along with heavy detentions, have aggravated the position. 736 wagons loaded with foodgrains -443 rice and 293 wheat-were awaiting release in Calcutta area on 13.12.1970. This is particularly unfortunate at a time when more than 3,000 broad gauge wagons loaded with jute are immobilised on Eastern Railway due to poor removals and the subsequent strike of the jute workers. I fully appreciate the anxiety of the Hon. Members for ensuring speedy transport of procured rice from the Punjab to various deficit States. Hon. Members will, however, agree with me that in the existing circumstances further despatches of rice to destinations in West Bengal will serve no useful purpose and will only lead to more acute congestion. In order to enable the Railways to move rice from the Punjab expeditiously, I have already requested my colleague, the Food Minister, to take action as follows :—

(i) To accelerate the movement of rice from the Punjab, steps should be taken to ensure quick release of loaded foodgrain wagons at terminals in Calcutta area ;

(ii) To adjust the movement progamme of rice from the Punjab so that despatches may be spread out to other States as well instead of concentrating the movement of rice to destinations in West Bengal.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमन्, पंजाब और हरियाणे के किसान उनके चावल के लिए रेल के डिब्बे न मिलने के कारण एक

बहुत बड़ी कठिनाई में फंस गए हैं। इस साल इस फसल में फूड कारपोरेशन को पंजाब से 4 लाख टन चावल प्रोक्योर करना है और 2 लाख 75,000 टन हरियाणे से प्रोक्योर करना है। केवल करनाल की जो रिपोर्ट हमें अखबारों से पढ़ने को मिलती है उसमें लिखा है कि 8 करोड़ रुपये का चावल 67 हजार टन के करीब खाली करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। 8 करोड़ रुपये का 67,000 टन चावल इस कारण सड़ रहा है कि रेलवे वैगंस नहीं मिल रहे हैं। पंजाब राज्य सरकार के खाद्य मंत्री श्री गुरुमीत सिंह ने भी इस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है कि मंडियों में बहुत चावल पड़ा हुआ है। वहां चावल खरीदने का जो तरीका है वह यह है कि फूड कारपोरेशन 82 परसेंट चावल मिलों से लेती है। मिलों के जो संचालक हैं वह आढ़तियों से चावल लेते हैं और किसान आढ़तियों को चावल देते हैं। किसानों से आढ़तियों की मार्फत मिल मालिक चावल खरीदते हैं। जिस दिन वेगंस चालू हो जाते हैं उसके 5-7 दिन बाद मिल संचालक अपने आढ़तियों को पेमेंट करते हैं और उसके बाद आढ़ती किसान को पेमेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वैगंस न मिलते तो न मिल मालिक पेमेंट कर पाते हैं और न आढ़ती पेमेंट कर पाता है। किसान जो है वह बेचारा भारी मुसीबत में फंस जाता है।

आजकल पंजाब और हरियाणे में गेहूं बोने की फसल चलती है। उस फसल में किसान कहां से खाद खरीदे, कहां से बीज खरीदे जबकि उसको उसकी फसल का पैसा ही नहीं मिल रहा है। इन हालात के चलते हुए रेलवे मिनिस्टर महोदय ने यहां जो कहा है मैं समझता हूं उन्होंने यह बताया है कि वह काफी तत्परता के साथ और काफी सतर्कता के साथ रेलवे के डिब्बे देने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया ने कुछ प्रोग्राम बताया उस तरीके से रेल के डिब्बे दे रहे हैं लेकिन साथ ही उन्होंने जो दिक्कत बताई है वह दिक्कत दो बताई हैं। एक तो यह कि चावल ज्यादातर बंगाल भेजा जाता है और बंगाल में जो डिब्बे रेल के हैं वह जल्दी खाली नहीं होते तो जल्दी खाली न होने के कारण वापिस नहीं आ सकते। दूसरी वजह उन्होंने यह बताई कि अगर फूड कारपोरेशन यह करे कि ज्यादातर चावल के डिब्बे बंगाल न भेजे बल्कि दूसरे राज्यों में भेजे तो इस समस्या का हल हो सकता है। इसके लिए उन्होंने शायद फूड मिनिस्टर को लिखा है फूड मिनिस्टर से बातचीत की है तो मैं रेलवे मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि यह चावल की जो फसल है वह 4-5 महीने चलती है, 40-45 दिन मार्केट में चावल चलता है तो उसके प्रोक्योरमेंट की बाबत फूड मिनिस्टर साहब ने जो लिखा उसका क्या कुछ परिणाम निकला? क्या मिनिस्टर ने कोई ऐसा जवाब दिया है जिससे किसानों को यह बताया जा सके कि यह जो उन को परेशानी हो रही है, जो तंगी हो रही है कि बाजार से चावल उठने में नहीं आ रहा है इसका जल्दी कोई हल निकालें। क्या आप की फूड मिनिस्टर से बातचीत आदि के परिणामस्वरूप कोई इसका हल निकला है, नहीं निकला है तो वह कब तक निकल आयेगा ताकि यह तंगी और परेशानी दूर हो सके?

श्री नन्दा : मैं फिर इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस अर्से में वैगंस जो भेजे गए हैं पंजाब से और हरियाणे से भी वह ज्यादा हैं इसी अर्से के पिछले साल के मुकाबले में। आप देखेंगे तो पायेंगे कि 6 परसेंट ज्यादा थे एक अक्तूबर से सात दिसम्बर तक। 8 से 15 तक उसकी स्पीड बढ़ायी गयी और यह 50 परसेंट के करीब ज्यादा इस अर्से में भेजे गए। यह तो हुआ है और आज जो कुछ हो रहा है जबकि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। वैगंस का उत्पादन भी इस साल उतना ही है जितना पिछले साल था। मण्डी में जो माल आने वाला है वह उतना ही है जितना पिछले साल था लेकिन वैगंस ज्यादा दिये गये हैं। तीन लाख टन का मार्केट में सरप्लस है

[श्री नन्दा]

उसमें से एक दिसम्बर के आखिर तक 2 से ज्यादा चला जायेगा और उसमें स्पीड बढ़ाई जा रही है। जो आप ने सवाल किया, कि दिक्कत किस तरह से रफा हो तो दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है। आज भी भाव जो है चावल का मण्डी में पहले से ज्यादा हुआ है कुछ कम नहीं हुआ है लेकिन परेशानी मिलर्स को जरूर होगी। वह इकट्ठा उनके पास जो हो गया है सामान उसको भेजना चाहते हैं। उसके लिए और ज्यादा इंतजाम हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस महीने के आखिर तक बहुत कुछ मामला हलका हो जायेगा और बहुत दिक्कत नहीं रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि उसका हल क्या है? जिस हद तक बाकी है सामान चावल भेजने का उसमें हमने फूड कारपोरेशन से जो बात की है उसका नतीजा यह निकला है कि कलकत्ते नहीं भेजेगें रास्ते में उसको हम बिहार वगैरह वहां से ले जायेंगे और फिर जब हालत सुधरेगी तो वहां बाद में पहुंचा देंगे। इसलिए इसका हल हो रहा है इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : I crave your indulgence for half a minute. This country has always been concerned on the question of pacts and military pacts. Troops of the Warsaw Pact countries have been used in Poland, where riots and people's demonstrations have been crushed in five or six leading cities of Poland like Gdansk, Katowico...Gydnia and Sopot...

Mr. SPEAKER : I have not allowed the hon. Member but he goes on.

SHRI M. L. SONDHI : This country has always been concerned over the problem of civil liberty. Those who know Poland know that India and Poland have a lot of relations. I would submit that when troops of the Warsaw Pact are used, it is not an ordinary matter but it is a serious matter...

MR. SPEAKER : I have not allowed him. He should resume his seat now.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Firing was resorted to yesterday in the Midnapore jail on several occasions, and since there is President's rule in that State, therefore, I am raising this matter. I have got the information that about a dozen persons were killed in the Midnapore Central jail, and about 50 persons were injured. I would like to know whether this is correct or not. It is correct because I have got information, but the Government should make a statement on this.

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, तेल शोधक कारखाना राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थापित करने की योजना सरकार की थी, लेकिन वह योजना बदल कर हरियाणा में कर दी गई है, जिसके कारण राजस्थान के सरकारी और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी निराशा है और बड़ा खेद प्रकट किया जा रहा है इस मामले को लेकर। वहां के मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया ने प्रधान मंत्री और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री डा० त्रिगुण सेन को पत्र भी लिखे हैं। पहले एक सरकारी कमेटी इस पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी कि सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाना स्थापित किया जाए या नहीं। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि सवाई माधोपुर सब तरह से उपयुक्त है। वहां पर छोटी और बड़ी दोनों लाइनें हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी वह उपयुक्त है। काण्डला से जो तेल की पाइप-लाइन आयेगी वह भी सवाई माधोपुर में अन्य स्थानों के बनिस्पत आर्थिक दृष्टि से उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित है, जब कि सवाई माधोपुर इस मामले में पिछड़ा हुआ है।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले में एक वक्तव्य दे और सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का निश्चय करे।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर सवाई माधोपुर में हड़ताल हो रही है और

स्थिति तनावपूर्ण है । इस सम्बन्ध में मुझे चेयरमैन नगरपालिका व यंग फेडरेशन की ओर से तार मिले हैं ।

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Here is a clear case of discrimination against Rajasthan, where in spite of the specific recommendations made by the committee in regard to the location of the plant at Sawai Madhopur a decision has been taken to locate it in Haryana, which is not called for. Let Government give an explanation for this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री इस आरोप का उत्तर दें कि आल इण्डिया रेडियो पंजाब के राज कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में गलत समाचारों का प्रकाशन कर रहा है और प्रचार कर रहा है । कल मैं पटियाला में था । हड़ताल मुकम्मल थी । सारी रात अन्धेरा रहा । लेकिन आल इण्डिया रेडियो समाचार दे रहा है कि पंजाब के कर्मचारियों की हड़ताल विफल हो गई, अधिकांश कर्मचारी काम पर आये । आखिर यह आल इण्डिया रेडियो तथ्यों के प्रचार के लिए है या सरकारी भौंपू है गलत बातों की खबर देने के लिए ।

इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि पंजाब के कर्मचारी केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता मांग रहे हैं । वित्त मंत्री महोदय बतलायें कि वह पंजाब सरकार की इस सम्बन्ध में मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं । ...(**व्यवधान**)...

MR. SPEAKER : Some advance information should be given to me so that I may know what matter the hon. Members want to raise.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I have given notice under rule 377 to raise the following matter...

MR. SPEAKER : I am not allowing him under rule 377.

SHRI JYOITRMOY BASU : Now, it is going to be a month since 11 bullet-riddled bodies were found near the Barasat area in the northern suburb of Calcutta. Press reports published indicate that the CBI was sent for inquiry and the higher police authorities have also joined hands. But, so far, nothing has come out, and the people are anxious to know the outcome of the inquiry. I had sought the autopsy report from the Prime Minisier immediately after the happening, but so far that also has not been given. The suspicion of the people of West Bengal seems to be that these murders were committed by the police and that is why they are shielding it.

MR. SPEAKER : I am not going to allow those members who have not given me advance intimation. Shri Jyotirmoy Basu had come to me. But I did not know that he was raising a matter under rule 377.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I had given notice two days ago. Kindly ask your secretariat.

MR. SPEAKER : After all, there should be some procedure. Rule 377 is a very much misused rule. In between a constitutional point and procedural point, he is pushing everything.

SHRI JYOTIRMOY BASU : It is a very important matter. They must say something about.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I have three points to urge. Tomorrow we are adjourning. I would request you to ask the Minister of Aviation to make a statement on the strike because AIR INDIA flights have also been cancelled. This is a very serious thing.

Also before we disperse, the Prime Minister should make a statement as to what she proposes to do with regard to the privy purses matter. Will she bring in a new Bill in the next session or will there be a special session called for the purpose.

Then I had tabled a calling attention motion regarding 10,000 taxtile workers of JK in Kanpur who are on the streets. They have declared a lockout which is illegal. I would only request you to ask the Minister

[Shri S. M. Banerjee]
either of Foreign Trade or of Labour to make a statement.

MR. SPEAKER : Only those points about which he had sent intimation should be brought in now.

SHRI S. M. BANERJEE : I have written to you to kindly ask the concerned Minister to make a statement, because I am afraid JKs being very strong in Kanpur, may make a big political donation and exert pressure on the Centre.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाया था एक पत्र के द्वारा कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन निर्णयों के द्वारा आन्ध्र प्रदेश के चार मंत्रियों की आलोचना की थी, जिनमें मुख्य मंत्री भी शामिल हैं। केवल यही नहीं कि उन्होंने जो काम किया वह असंवैधानिक था...

MR. SPEAKER : This is a matter between the High Court and the Ministers.

श्री मधु लिमये : आप जरा सुन तो लीजिए। सुनने के बाद ही तो आप निर्णय करेंगे। प्रताप सिंह कैरों का मामला यहां कैसे आया था ? आप मेरी बात तो सुनिये कि यह संविधान के अन्दर कैसे आता है।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : In the past, the House has taken note of such things.

SHRI RANGA : A petition was sent to the President concerning the strictures passed in regard to the Ministers in Andhra. We would like to know what has happened to it. The President must have sent it to the Home Minister.

MR. SPEAKER : He had written to me : I examined it. I think it is not within our jurisdiction to discuss.

श्री मधु लिमये : आप दो तीन मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं प्रिसिडेंट साइट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जिस बात को मैं रोकता हूं उसको आप कैसे हाउस में एक्स्प्लेन करेंगे ?

श्री मधु लिमये : मैं इस सदन का निर्णय आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के बारे में निर्णय ?

श्री मधु लिमये : इसी तरह के मामलों में इस सदन ने क्या किया वह मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं।

हाई कोर्ट क्या कहती है, उसके दो तीन वाक्य आप सुन लीजिए... **(इंटरप्शंज)**

MR. SPEAKER : May I know what the precedent is ?

श्री मधु लिमये : आप स्पीकर नहीं हैं। मैंने कायदे से उनको लिखा है। 377 के अन्दर लिखा है **(इंटरप्शंज)** यह क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। कोई तरीका होता है। 377 में मैंने नोटिस दिया है और तब मैं बोल रहा हूं।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : A point of order will arise only if you allow him to raise this question.

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इसी बात पर है। माननीय सदस्य कहते हैं कि आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वहां के कुछ मिनिस्टर्ज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्ज पास किए हैं। मैं आपका रूलिंग चाहता हूं कि क्या इस किस्म के मामले, स्टेट्स के मामले इस हाउस में उठाए जा सकते हैं ?

MR. SPEAKER : If I allow it, there will be no end to it.

श्री मधु लिमये : बीस साल का इतिहास खत्म हो गया ? इसी सदन में प्रताप सिंह कैरों...

श्री मु० अ० खां : मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर आपने कोई रूलिंग नहीं दिया है।

श्री रणधीर सिंह : या तो आप उसको रूल आउट करें या उसको एक्सैप्ट करें।

MR. SPEAKER : I have already said that state matters cannot be discussed in the House. He says there is a certain precedent. I know that precedent, but he wants to mention it. Let him mention it.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : सुन लीजिए, उसके बाद रूल आउट कर दीजिए।

श्री मधु लिमये : वह स्पीकर हैं, जो भी निर्णय देंगे मुझे मान्य होगा। एक फैसला किया :

> "The action of the Government is not only discriminatory and violative of the Constitution, but that it may even amount to a *mala fide* exercise of power".

20 फरवरी 1970 का निर्णय है। यह फारेस्ट मिनिस्टर के खिलाफ है।

MR. SPEAKER : After all, you should be reasonable. This is a matter concerning the State. It is for the State Assembly, not for us.

श्री मधु लिमये : रखने तो दें बाद में मैं प्रेसीडेंट भी दूंगा। एक वाक्य पढ़ नहीं पाता हूं और ये हल्ला करने लग जाते हैं। दो मिनट सुन लीजिये।

श्री मु० म० खां : रूलिंग के बाद यह मामला उठाया नहीं जा सकता है।

श्री मधु लिमये : मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili) : That is a point which should be confined to the earlier precedent here. Not to others, (*Interruption*).

श्री मधु लिमये : प्रेसीडेंट हवा में आते हैं क्या ? दोनों में क्या समानता है, यह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

MR. SPEAKER : Why don't you say it then ?

श्री मधु लिमये : दूसरे उन्होंने 20 फरवरी 1970 की जजमेंट में यह कहा है :

> "The Minister of Forests has not acted with that amount of responsibility expected from him and chose to deal with public property as if it were his own."

> He "chose to deal with public property as if it were his own."

एक और भी जजमेंट है, उसको मैं छोड़ देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये मिनिस्टर समाजवादी मालूम होते हैं।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : समाजवाद की आपकी परिभाषा बड़ी अच्छी है।

श्री मधु लिमये : इस तरह के काम राज्य मंत्रियों के द्वारा होंगे तो या तो गवर्नर या प्रेजीडेंट ही उसमें दखल दें, इसको मैं पसन्द नहीं करता हूं। कमिशन आफ इनक्वायरीज एक्ट में केन्द्रीय सरकार को पूरे अधिकार हैं। उनका इस्तेमाल करके प्रताप सिंह कैरों, मुख्य मंत्री पंजाब, के खिलाफ दास कमिशन किसने कायम किया था ? इन्होंने ही तो किया था। मैं प्रेसीडेंट दे रहा हूं—

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : वह बहुत अच्छे आदमी थे। उनके मुकाबले का हिन्दुस्तान में आदमी नहीं है।

श्री मधु लिमये : दास कमिशन किसने नियुक्त किया था ? क्या केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया था ?

MR. SPEAKER : There is no Commission of Inquiry report before us. (*Interruption*)

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Not only there is the judgment, but a memorandum has been sent to the President on this question also. Therefore, we ought to take note of it.

SEVERAL HON. MEMBERS : *rose*—

MR. SPEAKER : I do not know how long this will continue like this. (*Interruption*)

श्री मधु लिमये : मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में कमिशन नियुक्त करना चाहिए और उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह कैरों के मामले में किया था। सरकार को इस बारे में एक बयान भी देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कमिशन की मांग का मैं समर्थन करना चाहता हूं। इस सदन में आंध्र प्रदेश में फर्टिलाइजर स्कैंडल के बारे में सवाल हो चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश की पी० ए० सी० की रिपोर्ट भी है। सी० बी० आई० उस मामले की जांच कर रही है। एक मंत्री उसमें फंसा हुआ है। जब तक कमिशन नहीं बनेगा, सारे तथ्य सामने नहीं आ सकते।

SHRI RANDHIR SINGH : These are State subjects. How can he raise these subjects here ? The person concerned is not here to defend himself. How can he discuss it here ?

MR. SPEAKER : I am not going to allow anything on that.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir, here is a verdict of the high court ; it has said that it is a violation of the Constitution. Who is responsible for the maintenance of the rule of law ? Is it not this Parliament and the Central Government ?

MR. SPEAKER : It is a question for the State Assembly also.

SHRI RANDHIR SINGH : How can we discuss a State matter here ? You cannot finish that matter without hearing the person concerned.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Since there is a violation of the Constitution, should not the House take note of it, and should not we discuss this ? The Government of India should appoint a Commission of Inquiry to go into the whole affair. That is what we are asking.

MR. SPEAKER : The Member has already mentioned it. (*Interruption*)

SEVERAL HON. MEMBERS : *rose*—

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Shri S. M. Banerjee has mentioned the plight of the textile workers in Kanpur ; they are suffering a lot. They should not be made to suffer any longer, and they should be helped. (*Interruption*)

SEVERAL HON. MEMBERS : *rose*—

MR. SPEAKER : I would request all of you to resume your seats. Why are you demonstrating in this way ? (*Interruption*) When all of you speak together I cannot hear anything. What is going on ? The hon. Member wanted two minutes. He has made his suggestion.

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : पंजाब हाई कोर्ट ने हरयाणा सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ इस किस्म के स्ट्रिक्चर्स दिए हैं, उनके बारे में भी एन्क्वायरी कराई जाय।

श्री रणधीर सिंह : हरयाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर निहायत भले आदमी हैं। यह सब झूठ बोलते हैं।

SHRI K. N. PANDEY (Padrauna) : Sir, yesterday at 6 O'Clock the discussion on sugar position was initiated and many

members spoke. Unfortuunately, by that time some of the members of the press had gone away and some of the hon. Members resented this behaviour with the result that some heated discussion went on in the House. The Chairman, who was occupying the chair at that time—Shri K. N. Tiwary is a very good man ; I do not khow what happened to him. He adjourned the House on the plea that there is to much of noise in the House. So, the Minister could not get time to reply to the debate. Sir, I request you to allow the Minister to reply to the debate.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री रणधीर सिंह : एक मिनट मुझे सुन लिया जाए... (**व्यवधान**) ...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन दिल्ली टीचर्स पे-स्केल्स के बारे में शिक्षा मंत्री श्री भक्तदर्शन ने कहा था कि उनकी सर्विसेज के बारे में सरकार दिल्ली एजूकेशन बिल इसी सेशन में लाने वाली है लेकिन उन्होंने यह वादा पूरा नहीं किया। क्योंकि इसमें दिल्ली के 30 हजार टीचर्स से सम्बन्धित बात है मैं आपके जरिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर वह केवल बिल भी इंट्रोड्यूस कर दें कल तक तो भी बहुत अच्छा होगा ।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि दिल्ली के अन्दर नक्सलाइट्स का एक बड़ा जबर्दस्त प्लान लोगों का मर्डर करने का है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में कालिंग अटेंशन मोशन मंजूर कर लें ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, आप मुझे सुन लें। बिहार की आधे से ज्यादा आबादी के लोगों की मातृ-भाषा मैथिली है। उसकी मान्यता संविधान की अष्टम अनुसूची में हो यह हम बराबर मांग करते आ रहे हैं। इसके मुताल्लिक एक विधेयक भी हम लोगों ने पेश किया है। सरकार का फर्ज हो जाता है कि उसको मान्यता प्रदान करे और प्रधान मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनको आप यह कह दें वरना मैथिली भाषी लोग कलकत्ते से आए हैं और वह इसके लिए संघर्ष चलाएंगे और तब तक उनका संघर्ष चलता रहेगा जब तक मैथिली को अष्टम अनुसूची में मान्यता नहीं मिल जाती ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं सबसे गरीब इलाके से आता हूं। एक मिनट मुझे भी सुन लिया जाये ।

MR. SPEAKER : I was not very happy to learn of what happened last evening. We cannot adjust our programme just to see whether the press gallery is full or not. We have to keep our programme independent of that. We are a Parliament. During all the experience I have had, I at least had no occasion to hear that the sitting adjourned because a Member objected that the press gallery was empty. This was for the first time that I heard about it.

SHRI RANDHIR SINGH : We were talking about the All India Radio, not about the press gallery. The All India Radio people must be there.........(*Interruption*)

SHRI JYOTIRMOY BASU : The press was there......(*Interruption*)

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : It is ridiculous that any Member should have thought that Parliament should not work because the pressmen are not there. Are we here only for the gallery ?

Mr. SPEAKER : That is why I was surprised. When we deliberate, we address each other and not anybody outside.

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस की आजादी का बेहद् हामी हूं और बेहद् प्रेस की इज्जत करता हूं चाहे वह लिखने वाले प्रेस हैं या आल इण्डिया रेडियो का कोई काम है। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान का कोई प्राबलम हो तो उसको 6 बजे के बाद आप न रखा करें । प्रेस वाले

[श्री रणधीर सिंह]

बेचारे थके रहते हैं, भूखे रहते हैं। कल आपने 6 बजे डिस्कशन उस पर रख दिया साढ़े छ: सात तक चलता रहा, कोई भाई यहां हाजिर न रह सके और किसान की बात सुनी न जा सकी। किसान देश के लिए अनाज पैदा करने वाला है, देश को बनाने वाला है, मेरा यही निवेदन है कि उसकी प्राबलम हो तो उसे जब हाउस उठने का वक्त हो उस वक्त न रखा करें दिन में किसी समय रखा करें ताकि उसकी शिकायत को फुल पब्लिसिटी मिले, अखबारात उसको कोट करें, रेडियो कोट करे। इसलिए आप उसको अन्त में न रखकर बीच में किसी समय रखा करें।(...**व्यवधान**)...

मैंने प्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं कही। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने आल इण्डिया रेडियो के बारे में कहा और अब भी कहता हूं। प्रेस की कोई बात नहीं है। जो मैंने कल कहा उसको आज फिर स्टिक करता हूं।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : I entirely agree with you that the press is not necessary when we speak. Why can you not dispense with the press at least today ? They have become bigger politicians than the politicians. Why do you want them here ?

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Ambalapuzha) : In Bangalore and Madras there is a strike in the Reserve Bank of India. There were reports in papers that in Bangalore, the employees were manhandled by the police. I would like to have a statement from the Minister about the incident that has taken place and the action they are taking to resolve the strike that is going on.

Then, the Kerala Government has already written to the Central Government for taking over the plantations in Kerala. We would like to know the stand taken by the Central Government in the matter...... (*Interruption*)

MR. SPEAKER : I am really surprised that every day you do like this. Every day we take away the Lunch Hour also. There should be some mercy on the Members of this House.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, क्यों कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एस० वी० डी० गवर्नमेंट चला रहे हैं, इसलिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सौ करोड़ रुपया हमारा मार दिया, मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने देने से। मैं सबसे गरीब इलाके को रेप्रेजेन्ट करता हूं जहां भुखमरी है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हर तरह से तबाह हैं और यह गवर्नमेंट बड़ी न्यायी और प्रोग्रेसिव अपने को कहती है। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि अगर इसको जिन्दा रहना है तो यह न्याय करे और उचित न्याय करे। हमारी मांग उचित है, 100 करोड़ रुपया हमारा वापस करे। फखरुद्दीन अली साहब बैठे हैं, वह ईस्टर्न रेंज आफ इण्डिया को रेप्रेजेन्ट करते हैं। अगर उनके देखते हुए यह अन्याय है तो फिर भगवान ही मालिक है इस देश का।

Dr. RAM SUBHAG SINGH : About the IAC, the strike should be got ended because they are suffering like anything.

MR. SPEAKER : I was hesitating to allow only two Members and the result is all this. Those Members, Shri Banerjee and Shri Jyotirmoy Basu, had given me regular notice. Suddenly and abruptly something starts and there is no end to it. After all, there should be some method of doing things, not suddenly and abruptly getting up and converting every hour into a debating hour.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आखरी बोलने वाला हूं...

अध्यक्ष महोदय : आखरी नहीं होंगे, और भी निकल आयेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : अब कोई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल शाम को

यह बहस अधूरी रह गई—ईख और चीनी की कीमत के बारे में—मैं चाहता हूं कि उस बहस को पूरा किया जाये और जो लोग बोलने वाले बचे गए हैं उनको बोलने का मौका दिया जाये, उसके बाद मंत्री महोदय जवाब दें, क्योंकि यह मसला देश के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

12·40. hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NAVY (PENSION) THIRD AMENDMENT REGULATIONS, 1970

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI P. C. SETHI) : On behalf of Shri Jagjivan Ram, I beg to lay on the Table a copy of the Navy (Pension) Third Amendment Regulations, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O. 461 in Gazette of India dated the 28th November, 1970. under section 185 of the Navy Act, 1957. [*Placed in Library. See* No. LT—4594/70]

ANNUAL REPORT OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : On behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Part I) of the Registrar of Newspapers for India on Press in India for the year 1970. [*Placed in Library. See* No. LT. 4595/70]

REVIEW ON INDIAN OIL CORPORATION LTD., BOMBAY AND ANNUAL REPORT THEREOF FOR 1969-70

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS, AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :

(1) Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Oil Corporation Limited, Bombay for the year 1969-70.

(2) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Bombay for the year 1969-70, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See*. No. LT-4596/70]

AUDIT REPORT (COMMERCIAL) 1970

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : On behalf of Shri Vidya Charan Shukla, I beg to lay on the Table, under article 151 (1) of the Constitution, a copy of the Audit Report (Commercial) 1970 :

Part VIII—Comprehensive appraisal of the work of the Oil and Natural Gas Commission.

Part IX—Comprehensive appraisal of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited.

Part X—Individual irregularities and a resume of the Company Auditors Report. [*Placed in Library . See*. No. LT-4597/70]

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN ON 24TH NOVEMBER 1970 TO UNSTARRED QUESTION NO. 2086

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : I beg to lay on the Table a statement correcting the answer